



अनुसूची / SCHEDULE - I

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(POINT OF PRESENCE) REGULATIONS, 2018

(देखें विनियम 10, 11, 13)
(See regulations 10, 11, 13)

पंजीकरण प्रमाणपत्र
CERTIFICATION OF REGISTRATION

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION No. POP327082021

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एनपीएस-लाइट स्वावलंबन योजना के लिए उपस्थिति अस्तित्व के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र
Certification of Registration as point of presence for National Pension System (NPS) and NPS-Lite Swavalamban Scheme

(क) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के अनुसार उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कार्य करने हेतु “भारतीय जीवन बीमा निगम” को यह पंजीकरण प्रमाणपत्र राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एनपीएस-लाइट स्वावलंबन योजना में कारोबार करने के लिए प्रदान करता है।

एनपीएस-लाइट स्वावलंबन योजना के लिए पंजीकरण पूर्ववर्ती सीओआर दिनांक 06.08.2021 के अनुसार वैध है; और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए पंजीकरण इस सीओआर के जारी होने की दिनांक से मान्य रहेगा।

a. In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, the Authority hereby grants this Certificate of Registration to “LIC of India” to act as a point of presence to transact in **National Pension System (NPS)** and **NPS-Lite Swavalamban Scheme** as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018:

Registration for **NPS-Lite Swavalamban Scheme** is valid as per earlier CoR dt. 06.08.2021; and registration for **National Pension System (NPS)** is valid from the date of issuance of this CoR.

(ख) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) की पंजीकरण संख्या / The registration code of the point of presence (PoP) is **POP327082021**

जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है और यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 और उसमें हुए संशोधन के तहत प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

The Certificate of Registration granted shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority and subject to adherence to the terms and conditions provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of presence) Regulations, 2018, and any amendments thereof.



के आदेश से / By Order
द्वारा / On Behalf of
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory and Development Authority

(आशीष कुमार भारती/ Ashish Kumar Bharati)
महाप्रबंधक/ General Manager

तिथि / Date: 16th December, 2024
स्थान / Place: New Delhi